प्रकाशन का 47 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 47 अंक – 2 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 03 – 10 जनवरी 2022 मूल्य पांच रूपए

कांग्रेस के प्रस्तावित आरोप पत्र पर लगी निगाहें

आरोप पत्र की गंभीरता तय करेगी कांग्रेस का भविष्य

क्या आरोप पत्र रस्म अदायगी से आगे बढ़ेगा

शिमला/शैल। प्रदेश कांग्रेस के नेता उपचुनावों में चारों सीटें जीतने के बाद आने वाले विधानसभा चुनावों में साठ सीटें जीतकर 60: 8 होने का दावा करने लगे हैं। यह सही है कि इस समय प्रदेश के जो हालात चले हुये हैं उनके चलते यदि 68:0 भी परिणाम हो जाये तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। क्योंकि उपचुनावों के बाद मंडी आये प्रधानमंत्री प्रदेश को कुछ देकर नही गये हैं और प्रदेश सरकार की हालत यह है कि वह उस काल में भी जनहित से जुड़ी 96 योजनाओं पर एक पैसा तक खर्च नहीं कर पायी है। जब कोरोना का संकट भी सामने नही था। जबकि इसी बीच मुख्यमंत्री के सरकारी आवास दो मंजिला और ओवर में लिफ्ट लगाई गयी। आगन्तुकों से मिलने के लिये अलग से एक निर्माण करवाया गया और गाय के लिये आवास और सड़क बनाये गये। ओकओवर शहर के कोर एरिया में पड़ता है और कोर एरिया में एनजीटी ने हर तरह के निर्माण पर नवंबर 2017 में ही पूर्ण प्रतिबंध लगाया हुआ है। स्वभाविक है कि यह निर्माण अदालत के फैसले की अवहेलना है। एनजीटी के इस फैसले की जानकारी संभव है कि मुख्यमंत्री को न रही हो लेकिन प्रशासन के शीर्ष पदों पर बैठे हर अधिकारियों को अवश्य रही है। ऐसे में यह निर्माण ही एक ऐसा सवाल बन जाता है जो प्रशासनिक समझ का खुलासा जनता के सामने रख देता है। यही नहीं कुछ ऐसे अधिकारियों को मुख्यमंत्री को बचाना पड़ा है जिन्हें एनजीटी और उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय ने नामत: चिन्हित करते हुये दोषी करार देकर उनके खिलाफ कारवाई करने के आदेश दिये हैं। लेकिन इन आदेशों की अनुपालना नहीं हुई है। इस चुनावी वर्ष में जब इस तरह के मामले जनता के बीच उछलेंगे तो इस सबका परिणाम क्या होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसे दर्जनों मामले जब पूरे दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ सामने आयेंगे तो उसका चुनावी परिदृश्य पर निश्चित रूप से नकारात्मक प्रभाव ही पड़ेगा।

इसी परिदृश्य में अब कांग्रेस ने पांच सदस्यों की एक कमेटी बनाकर नौ मुद्दों पर सरकार की असफलताओं और भ्रष्टाचार पर एक प्रमाणिक आरोप पत्र तैयार करने का ऐलान किया है। इस आरोप पत्र में क्या-क्या सामने आता है यह तो आरोप पत्र आने पर ही पता चलेगा। लेकिन यह तथ्य तो आम आदमी के सामने ही है कि यह सरकार बेरोजगारों युवाओं को रोजगार नहीं दे पायी है। इस समय प्रदेश के रोजगार कार्यालय में बारह लाख लोग रोजगार के लिए पंजीकृत हैं। जबकि यह सरकार अब तक केवल 23804 लोगों को ही अनुबंध के आधार पर नौकरी दे सकी है। कोरोना के कारण ही 17142 लोगों का रोजगार खत्म हुआ जिनमें से 17033 को सरकारी क्षेत्र और 4311 को प्राइवेट क्षेत्र में रोजगार दिया जा सका है। रोजगार के इन आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता है कि सरकार इतने लोगों को रोजगार नहीं दे पायी है जितने इस काल में रिटायर हुये हैं। गांवों में जहां लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध होता था वहां पर भी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 127637 कार्य निष्पादन के लिए चयनित हुए जिनमें से 74527 कार्यों पर काम नहीं हुआ है। मनरेगा में जो काम हुए हैं उनमें से 4726.88 लाख मजदूरी के और 5383.40 लाख सामान के भुगतान के लिये अब तक लंबित पड़े हैं।

रोजगार की स्थिति से स्पष्ट हो जाता है कि सरकार रोजगार उपलब्ध करवाने में कितनी सफल हुई है। आउट सोर्स के माध्यम से जो रोजगार दिया जा रहा है वह बेरोजगारों के उत्पीड़न का माध्यम बनकर रह गया है। क्योंकि आउट सोर्स का संचालन कर रही कंपनियों के संचालकों को बैठे-बिठाये मोटा कमीशन मिल रहा है। जबकि जिन लोगों को इनके माध्यम से रोजगार मिल रहा है उनके प्रति और रोजगार देने वाले विभाग के प्रति इन कंपनियों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्योंकि इनके पंजीकरण में राज्य सरकार की कोई भूमिका ही नहीं है। बल्कि आज आउट सोर्स कंपनियां कुछ राजनेताओं और बड़े अधिकारियों की आय का एक बड़ा साधन बन गये हैं । जब स्व. वीरभद्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब आउट सोर्स कंपनियों का बड़ा जखीरा शिमला था। अब क्योंकि मुख्यमंत्री मण्डी से ताल्लुक रखते हैं तो दर्जनों कंपनियों के कार्यालय मण्डी में हो गये हैं और कमीशन के रूप में करोड़ों की कमाई कर रहे हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकार कभी भी नियमित न कर सकती है क्योंकि यह लोग सरकारी कर्मचारी है नही। सरकार हर बार इन्हें आश्वासन देकर केवल छलने का काम कर रही है ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस के प्रस्तावित आरोप पत्र में क्या मुद्दे रहते हैं।

महेंद्र सिंह हुए अधिकारियों से खफा–मुख्यसचिव को भेजी फाइल

शिमला/शैल। कोरोना महामारी से निपटने के सारे उपाय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किये जा रहे हैं महामारी अधिनियम के तहत नहीं। आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत बनी राज्य कार्यकारी कमेटी के मुखिया प्रदेश के मुख्य सचिव हैं इस नाते जो भी उपाय किये जाते हैं और उसमें जो भी खर्च होता है उसके आदेश स्वभाविक रूप से यह कार्यकारी कमेटी करती हैं। महामारी के लिए प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों ने अपना दो दिन का वेतन योगदान के रूप में दिया है। आम आदमी ने भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार योगदान दिया है। इस योगदान के रूप में 80 करोड से अधिक का धन सरकार के पास आया है। राज्य सरकार और केंद्र ने जो दिया है वह अलग है। इस तरह सरकार के पास जो भी आया और खर्च किया गया उसको लेकर अकसर सवाल भी उठते रहे हैं। कई मामले भी दर्ज हुये हैं। स्वास्थ्य निदेशक तक की गिरफ्तारी हुई है। महामारी के आकार के बराबर ही इसमें हुये खर्च पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते आ रहे हैं।

क्योंकि सारा खर्च आपदा प्रबंधन के तहत हो रहा है और आपदा का प्रशासनिक नियंत्रण राजस्व विभाग के पास है इस नाते इसके ऊपर उठने वाले सारे सवालों का जवाब राजस्व मंत्री को देना होता है। सरकार के रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत विभाग का मुख्य राजस्व मंत्री है। लेकिन आपदा अधिनियम के तहत इन खर्चों में राजस्व मंत्री की कोई भूमिका नहीं है। जबकि कार्यकारी कमेटी के आदेशों की अनुपालना राजस्व सचिव और उनके अधिकारियों को करनी होती है। इनके ऑडिट की जिम्मेदारी भी इन्हीं अधिकारियों

शेष पृष्ठ 8 पर.....

मुख्यमंत्री ने नशा निवारण हेल्पलाइन का शुभारम्भ किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने 'मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 के अन्तर्गत विशेष 'नशा निवारण हेल्पलाइन' का शुभारम्भ किया। इस हेल्पलाइन का उद्देश्य ड्रग्स पर निर्भर हो चुके मरीजों और ड्रग्स प्रभावितों के माता-पिता/अभिभावकों का जरूरी मार्गदर्शन करना और उन्हें परामर्श मुहैया करवाना है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 'हिमाचल प्रदेश नशा निवारण बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट का भी शुभारम्भ किया, जिसमें बोर्ड के विजन और भविष्य में प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों की जानकारी दी गई है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि यह हेल्पलाइन नशे पर निर्भर हो चुके मरीजों या उनके माता-पिता को शिमला में 'हिमाचल प्रदेश नशा निवारण बोर्ड' और स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी' के नोडल अधिकारियों से जोड़ेगी। यहां उन्हें शुरूआती परामर्श/मार्गदर्शन मिलेगा। इसके बाद अगर आवश्यकता महसूस हुई तो मरीजों को साइकायट्रिक इलाज की सुविधा वाले निकटतम अस्पताल/मेडिकल कॉलेज/'इंटिग्रेटेड रीहैबलिटेशन एंड काऊंसलिंग सेंटर्स' भेजा जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने नशे के चंगुल में फंसे लोगों के लिए अच्छी और गुणवत्ता वाली नशा निवारण एवं पुनर्वास व्यवस्था बनाने पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने समस्याओं को एकीकृत ढंग से दूर करने के लिए लगातार बहु-स्तरीय प्रयास करने की योजना अपनाई है। इस दिशा में सरकार स्टेट इंटिग्रेटेड ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी लाने पर विचार कर रही है जिसमें नशे की समस्या के सभी रूपों से निपटने के लिए व्यावहारिक ढंग से बहुआयामी रणनीति और प्रभावी कार्य नीति बनाई जाएगी।

जय राम ठाकुर ने कहा कि इस बहुआयामी समस्या को उन्होंने पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अंतर्राज्यीय मुख्यमंत्री स्तर की वार्ता में उठाया और एक कार्य योजना भी बनाई। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पड़ोसी राज्यों, केन्द्र सरकार और दक्षिण एशिया के लिए युनाइटेड नेशन्स के ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर ड्रग्स की समस्या पर काम कर रही है।

इस अवसर पर बोर्ड के संयोजक व सलाहकार ओम प्रकाश शर्मा ने हिमाचल प्रदेश नशा निवारण बोर्ड के कार्यकाल के प्रदर्शन की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जिसमें बोर्ड के गठन से लेकर अब तक की गतिविधियों पर प्रकाश डाला गया है।

आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी तथा सदस्य सचिव नशा निवारण बोर्ड युनूस ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया।

विशेष सचिव राज्य कर एवं आबकारी निवेदिता नेगी तथा बोर्ड के गैर सरकारी सदस्य भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ बर्फ का आनंद लिया

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राजभवन में मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के साथ शिमला में इस मौसम की पहली बर्फबारी का आनंद लिया। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ राजभवन परिसर का दौरा किया।

इस दौरान शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, कृषि मंत्री डॉ. रामलाल मारकण्डा, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. राजीव सैजल, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, नगर निगम शिमला महापौर सत्या कौंडल व अन्य भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने बर्फबारी के सम्बन्ध में राज्यपाल के साथ अपने अनुभवों को साझा किया। उन्होंने किसानों और बागवानों के लिए बर्फबारी की उपयोगिता से भी अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बर्फबारी गर्मियों के दौरान शिमला क्षेत्र में होने वाली पानी की कमी से निपटने में भी सहायक होती है। उन्होंने कहा कि भारी बर्फबारी से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और स्थानीय लोगों को हिमपात से होने वाली कठिनाइयों से राहत प्रदान करने के लिए सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के प्रबन्धन के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है।

केंद्र सरकार से 44 वेटनरी एम्बुलेटरी वाहनों को मिली स्वीकृति:वीरेंद्र कंवर

शिमला/शैल। ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि, मत्स्य तथा पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि केंद्र सरकार ने 44 वेटनरी एम्बुलेटरी वाहनों के लिए स्वीकृति प्रदान की है। जिसके तहत प्रदेश में पशुपालन विभाग को मार्च माह के अंत तक वेटनरी एम्बुलेटरी वाहन उपलब्ध करवा दिए

जाएंगे। जिससे पशुओं को घर द्वार इलाज की सुविधा मिलेगी और इस एम्बुलेटरी वाहन की सेवा के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया जाएगा।

यह बात उन्होंने 67 लाख रुपए की लागत से निर्मित महात्मा गांधी इंडोर बैडमिंटन कोर्ट भटियात स्थिति चुवाड़ी के लोकार्पण के उपरांत कहीं।

इस दौरान विधानसभा में मुख्य सचेतक एवं विधायक विधानसभा क्षेत्र भटियात विक्रम जरयाल भी विशेष रूप से मौजूद रहे।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रदेश में 90 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और 70 प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित है । उन्होंने कहा कि लगभग 9.5 लाख परिवार ऐसे हैं जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि है और साथ ही पशुपालन के माध्यम से अपनी आर्थिकी मजबूत करते हैं। हिमाचल में जिला चंबा पशुधन के लिए माना जाता है।

उन्होंने कहा कि खंड विकास कार्यालय भटियात द्वारा चुवाड़ी में 67 लाख रुपए की लागत से महात्मा गांधी इंडोर बैडमिंटन कोर्ट मनरेगा कन्वर्जेंस के माध्यम से निर्मित किया गया है। उन्होंने कहा कि यह खंड विकास कार्यालय की एक अनूठी पहल है जिसके तहत एक शानदार इंडोर कोर्ट बनकर तैयार हुआ है और इसी मॉडल के आधार पर ही पूरे प्रदेश में बहुउद्देशीय खेलों के लिए इस तरह के इंडोर कोर्ट बनाए जाएंगे ।

मंत्री वीरेंद्र कंवर ने प्रदेश द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत प्रदेश में 3 लाख 23 हजार पात्र लोगों को लाभान्वित किया गया है तथा हिम केयर योजना के तहत 5 लाख 13 हजार परिवार पंजीकृत किए गए हैं जो इस योजना का लाभ ले रहे हैं।

उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना के तहत रसायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों के उपयोग को समाप्त करने तथा किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर उत्पादन लागत कम करने पर बल दिया जा रहा है।

उन्होंने यह भी बताया कि इस योजना से प्रदेश में 1 लाख 53 643 किसान लाभान्वित किए गए हैं और 46 करोड़ 15 लाख की धनराशि इस योजना में व्यय की गई है और 9192 हेक्टेयर कृषि भूमि को कवर किया गया है ।

इस दौरान उन्होंने मुख्य सचेतक विक्रम जरयाल द्वारा भटियात विधानसभा क्षेत्र में किए विकासात्मक कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश में इस विधानसभा क्षेत्र ने अलग पहचान बनायी है। उन्होंने उपमंडल प्रशासन द्वारा किए गए विकासात्मक कार्यों की भी सराहना की।

इससे पहले पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने लगभग 15 लाख रुपए की राशि से निर्मित पशु औषधालय भवन धुलारा का भी लोकार्पण किया। उन्होंने बताया कि इस पशु औषधालय से ग्राम पंचायत धुलारा के 9 गांवों को सुविधा मिलेगी।

इसी के उपरांत उन्होंने ग्राम पंचायत बिन्ना में 7 लाख रुपए की लागत से निर्मित आंगनबाड़ी भवन बिन्ना का भी उद्घाटन किया और 'बेटी है अनमोल योजना ' के तहत सात लाभार्थियों को एफडीआर भी वितरित की।

कार्यक्रम में विधानसभा में मुख्य सचेतक विक्रम जरयाल ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर को शॉल, टोपी और चंबा थाल भेंट कर सम्मानित किया ।

विक्रम जरयाल ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में भटियात विधानसभा क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित किए गए हैं जिसमें मुख्य रुप से 187 संपर्क मार्ग बनाए गए हैं और 20 करोड रुपए की लागत से चुवाड़ी सीवरेज योजना का कार्य भी युद्ध स्तर पर करवाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि भटियात विधानसभा क्षेत्र में 678 करोड की जल शक्ति विभाग द्वारा विभिन्न पेयजल व सिचाई योजना पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के गत 4 वर्षों में भटियात में मनरेगा के तहत 104 करोड रुपए व्यय किए गए तथा 157 वनसरोवर बनाए गए हैं और 47 आंगनबाड़ी भवनों का भी निर्माण किया गया है। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र में हो रहे अन्य विभिन्न विकासात्मक कार्यों का भी जिक्र किया।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादकःजे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा
अन्य सहयोगी
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी

भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप के नेतृत्व में प्रदेश भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से भेंट की।

प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद को राज्यपाल के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान पंजाब सरकार द्वारा की गई सुरक्षा व्यवस्था में चूक के संबंध में ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच करवाकर दोषियों के विरूद्ध सख्त कारवाई का आग्रह किया।

सर्व अनुबंध कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से भेंट की

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश सर्व अनुबंध कर्मचारी महासंघ की राज्य व जिला कार्यकारिणियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर से उनके आधिकारिक आवास

में भेंट की।

प्रतिनिधिमंडल ने राज्य में कर्मचारियों के अनुबंध कार्यकाल को तीन वर्ष से घटाकर दो वर्ष करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

महासंघ के प्रतिनिधिमंडल में राज्य कार्यकारिणी अध्यक्ष सुरेन्द्र नड्डा, राज्य महासचिव सुनील कुमार शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजय पटियाल, कोषाध्यक्ष अविनाश सैणी, जिला कार्यकारिणी हमीरपुर के अध्यक्ष मनुदेव शर्मा, सिरमौर के अध्यक्ष सुधीर शर्मा और सोलन के अध्यक्ष रमेश कन्याल शामिल थे।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिये

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने राष्ट्रीय राजमार्गो के भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में राज्य सरकार व भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग

प्राधिकरण (एनएचएआई) के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए, उन्हें भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि एनएचएआई द्वारा निष्पादित मुख्य सड़क परियोजनाओं के कार्य को जल्द शुरू किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने एनएचएआई के अधिकारियों को उनके द्वारा निष्पादित की जा रही परियोजनाओं को पूरा करने के लिए समय सीमा निर्धारित करने और समय पर कार्य पूरा करने के लिए अधिक उत्साह के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की प्रमुख एनएचएआई परियोजनाओं का शुभारम्भ और शिलान्यास करने के लिए इस वर्ष के मध्य तक प्रधानमंत्री से आग्रह करने की योजना बना रही है। उन्होंने एनएचएआई के अधिकारियों को राज्य के राष्ट्रीय राजमार्गो और बनने वाले फोरलेन परियोजनाओं का उचित रख-रखाव सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए, ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

जय राम ठाकुर ने कहा वर्तमान में राज्य में लगभग 40 हजार किलोमीटर लम्बी सड़कें हैं, परन्तु पहाड़ी राज्य होने के कारण अभी और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 321 गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ा है, जबकि पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान 261 गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ा गया था। उन्होंने कहा कि गत चार वर्षो के दौरान 240 पुलों और 3108 किलोमीटर सड़कों को जोड़ा गया है।

उन्होंने कहा कि पहाड़ी राज्य होने के कारण प्रदेश में परिवहन का एकमात्र साधन सड़कें हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बेहतर सड़कें महत्वपूर्ण है और हिमाचल प्रदेश एक पर्यटन राज्य होने के कारण राज्य में बेहतर सड़कें पर्यटन को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने एनएचएआई के अधिकारियों को इस वर्ष जुलाई माह के अंत तक 85 किलोमीटर लम्बे हनोगी-कुल्लू -मनाली सड़क मार्ग के कार्य को पूर्ण करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 4540 करोड़ रुपये की लागत की इस सड़क परियोजना के कार्य के पूरा होने से क्षेत्र में पर्यटन विकास को बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में एनएचएआई द्वारा 104 किलोमीटर परमाणु-सोलन -कैथलीघाट-शिमला बाईपास सड़क मार्ग, 226 किलोमीटर कीरतपुर-नेरचौक -मण्डी-कुल्लू-मनाली सड़क मार्ग, 223 किलोमीटर शिमला-बिलासपुर -हमीरपुर-मटौर सड़क मार्ग तथा 17 किलोमीटर पिंजौर-बद्दी-नालागढ़ सड़क मार्ग का कार्य क्रियान्वित किया जा रहा है। उन्होंने एनएचएआई के अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से इन परियोजनाओं को पूर्ण करने के निर्देश दिए क्योंकि यह परियोजनाएं राज्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से 131 किलोमीटर की लम्बाई तथा 11 घण्टों की दूरी कम होगी।

उन्होंने कहा कि केन्द्रीय थल परिवहन एवं उच्च मार्ग मंत्री द्वारा 1,303 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 39.14 किलोमीटर राष्ट्रीय उच्च मार्ग-05 के परमाणु-सोलन फोरलेन के एक भाग का लोकार्पण किया जा चुका है।

प्रधान सचिव राजस्व ओंकार शर्मा, प्रधान सचिव लोक निर्माण विभाग सुभाशीष पाण्डा तथा एनएचएआई के प्रतिनिधि भी इस बैठक में उपस्थित थे।

एचपीएसआईडीसी और सेल के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित

निगम की वैबसाइट एवं उन्नति पोर्टल का शुभारम्भ

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की उपस्थिति में हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड और मैसर्ज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के मध्य राज्य में निगम की आवश्यकताओं के

अनुरूप स्टील की आपूर्ति के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के मोबाइल ऐप और उन्नति पोर्टल का भी शुभारम्भ किया। यह पोर्टल उपयोगकर्ताओं को दूसरों के साथ मिलकर और व्यक्तिगत परियोजनाओं पर कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है। उन्नति पोर्टल रीयल टाईम सहयोग के साथ ही उपयोगकर्ताओं को किसी भी स्थान और समय पर साथ में काम करने और दस्तावेजों के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करता है।

जय राम ठाकुर ने इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की वैबसाइट का भी शुभारम्भ किया। निगम के प्रयासों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वैबसाइट के माध्यम से सभी स्तरों पर लोगों को परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति के बारे में समयबद्ध जानकारी सुनिश्चित होगी और इससे लक्ष्यों की प्राप्ति और कार्यों से सम्बन्धित सभी जानकारियां एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकेंगी।

मुख्यमंत्री को हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की ओर से 1.54 करोड़ रुपये के लाभांश का चेक उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह और निगम के प्रबन्ध निदेशक राकेश प्रजापति द्वारा भेंट किया गया।

उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 51 लाख रुपये का चेक भी मुख्यमंत्री को प्रदान किया।

इस अवसर पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुख्य महाप्रबन्धक अभिजीत कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सरकार रेशमकीट पालन से जुड़े किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्धः बिक्रम सिंह

शिमला/शैल। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने उद्योग विभाग के रेशम अनुभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने रेशमकीट

पालन क्षेत्र से जुड़े किसानों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न मण्डलों के अन्तर्गत रेशमकीट बुनाई बुनकरों को लाभान्वित करने के लिए रेशमकीट प्रदर्शनी एवं प्रशिक्षण केन्द्र, रेशमकीट सामुदायिक केन्द्र, कोकून विपणन केन्द्र और सिल्क वॉर्म सीड उत्पादन केन्द्र आदि स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मण्डी जिला के बालीचैकी में 494 लाख रुपये की लागत से सेरी एंटरप्रिन्योरशिप डवेल्पमेंट एंड इनोवेशन सेंटर (एसईडीआईसी) भवन का निर्माण किया जा रहा है। इस भवन के निर्मित होने से प्रदेश के और अधिक रेशम बुनकरों को प्रशिक्षित करने की सुविधा प्राप्त होगी और रेशम से जुड़े उत्पाद निर्मित किए जाएंगे। मण्डी जिला के थुनाग में 318 लाख रुपये की लागत से रेशम बीज उत्पादन केन्द्र के भवन का निर्माण किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के स्टेट कैटेलेटिक डवेल्पमेंट प्रोग्राम के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 में लगभग 271 लाख रुपये व्यय कर 12 हजार से अधिक किसानों को लाभान्वित किया गया है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में 79 रेशमकीट पालन केन्द्र हैं। प्रदेश के 1287.51 बीघा में शहतूत की खेती की जाती है। प्रदेश में वर्ष 2021-22 के दौरान अब तक 2 लाख 23 हजार शहतूत के पौधे वितरित किए गए हैं और 238 मीट्रिक टन कोकून का उत्पादन किया गया।

बिक्रम सिंह ने कहा कि प्रदेश में रेशम कीट पालन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यशालाएं का आयोजित की जाएंगी, जिससे रेशमकीट पालन किसानों को केन्द्र और राज्य सरकार के रेशम उद्योग विकास के लिए आरम्भ की गई विभिन्न योजनाओं की जानकारी उपलब्ध होगी।

बैठक में निदेशक उद्योग राकेश प्रजापति, उप निदेशक रेशम अनुभाग बलदेव चैहान और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

विधायक प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिए दो दिवसीय बैठकों का आयोजन

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में वार्षिक बजट 2022-23 के लिए विधायक प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिए विधायकों के साथ प्रस्तावित दो दिवसीय बैठकों के आयोजन में आंशिक परिवर्तन किया गया है। यह बैठकें अब 17 तथा 18 जनवरी, 2022 को द पीटरहॉफ, शिमला-4 में आयोजित की जाएंगी।

17 जनवरी, 2022 को पूर्वाहन 10.30 बजे से 1.30 बजे तक सोलन, बिलासपुर व मण्डी तथा अपराह्न 2 बजे से 5 बजे तक ऊना, हमीरपुर, कुल्लू और सिरमौर जिले के विधायकों के साथ बैठक आयोजित की जाएंगी।

18 जनवरी, 2022 को पूर्वाह्न 10.30 बजे से 1.30 बजे तक कांगड़ा व किन्नौर जिलों तथा अपराहन 2 से 5 बजे तक चम्बा, शिमला, और लाहौल व स्पीति जिले के विधायकों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी।

इन बैठकों में वार्षिक बजट 2022-23 की विधायक प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिए विचार-विमर्श किया जाएगा।

बैठकों में विधायकों से वर्ष 2022-23 के लिए मित्तव्ययता उपायों, वित्तीय संसाधन जुटाने एवं बेहतर प्रशासन के संदर्भ में प्राप्त सुझावों पर भी चर्चा होगी।

इग्नू ने 2022 सत्र के लिए बढ़ाई पुनः पंजीकरण की अंतिम तिथि

शिमला/शैल। इग्नू ने जनवरी, 2022 सत्र के लिए विभिन्न बैचलर/मास्टर डिग्री कार्यक्रमों में अगले वर्ष /सैमेस्टर में पुनः पंजीकरण (Re-registration) की अंतिम तिथि 15 जनवरी, 2022 तक बढ़ा दी है। जनवरी 2021 सत्र में विभिन्न बैचलर डिग्री तथा मास्टर डिग्री (वार्षिक पद्धति) तथा जुलाई 2021 में विभिन्न बैचलर डिग्री तथा मास्टर डिग्री (सेमैस्टर पद्धति) कार्यक्रमों में पहले-से पंजीकृत सभी छात्र पुनः पंजीकरण (Re-registration) के लिए पात्र होंगे। पुनः पंजीकरण के लिए लिंक इग्नू की वैबसाइट www.ignou.ac.in पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए इग्नू के किसी भी नजदीकी अध्ययन केन्द्र से या इग्नू क्षेत्रीय केन्द्र, खलीणी, शिमला के दूरभाष संख्या 0177- 2624612 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

हर काम को तीन अवस्थाओं से गुज़रना होता है–उपहास, विरोध और स्वीकृति। .....स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

क्या सच सिर्फ प्रधानमंत्री ही बोलते हैं

प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है और इसे केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों ने मान भी लिया है। दोनों ने ही इस पर अपनी-अपनी जांच भी बिठा दी है। इसी बीच यहमामला सर्वोच्च यायालय में भी पहुंच गया है। केंद्रऔर राज्य दोनों ने ही एक दूसरे की जांच पर एतराज उठाये हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों की ही जांच पर सोमवार तक रोक लगाकर पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्टार को निर्देश दिए हैं कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से जुड़े सारे दस्तावेजी साक्ष्य अपने कब्जे में लेकर सुरक्षित रखें। सर्वोच्च न्यायालय के इस दखल के बाद इस विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक विराम लग जाना चाहिये था। लेकिन ऐसा हुआ नही है। यह विवाद जिस तर्ज पर बढ़ाया जा रहा है उससे बड़ा सवाल यह बन गया है इसमें सच कौन बोल रहा है। केंद्र या राज्य सरकार। जनता किस पर विश्वास करे। प्रधानमंत्री मोदी या मुख्यमंत्री चन्नी पर। राजनीति भाजपा कर रही है या कांग्रेस। इन सवालों की पड़ताल करने के लिये सबसे पहले यह जानना और समझना आवश्यक है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए व्यवस्था क्या है। जब देश ने एक प्रधानमंत्री और एक पूर्व प्रधानमंत्री को सुरक्षा चुक के कारण खो दिया था तब प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिये एक अधिनियम लाकर एसजीपी का गठन किया था। इस अधिनियम के आ जाने के बाद प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिये एसजीपी ही जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा कोई भी कदम कोई भी फैसला लेने का अंतिम अधिकार एसपीजी का ही रहता है। अन्य सारी एजेसियां इस संबंध में उसी के निर्देशों की अनुपालना करती है। इस व्यवस्था के परिदृश्य में सर्वोच्च न्यायालय के सामने सारे पक्ष आ जायेंगे यह तय है और सारी असलियत सामने आ जायेगी।

यहां यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक दूसरी बार हुई है। दिसंबर 2017 में प्रधानमंत्री को एक आयोजन में शामिल होने के लिए अमेठी विश्वविद्यालय के परिसर में जाना था यहां पर जाने के लिये प्रधानमंत्री का काफिला रास्ता भूल गया। यह रास्ता भूलना भटकना सुरक्षा के लिये गंभीर चूक थी। लेकिन तब इस चूक के लिये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। संबंधित एसपी ने इस चूक के लिये दो पुलिसकर्मियों को निलंबित करके मामले की जांच पूरी कर दी थी। उस समय यह सुरक्षा चूक अखबारों की खबर तक नहीं बनी। आज यदि पंजाब के प्रसंग को यह कहकर चर्चा का विषय न बनाया होता **" कि अपने मुख्यमंत्री को बता देना कि मैं सुरक्षित वापस आ गया हूं "** तो शायद यह पुराने प्रसंग सामने न आते। आज इस प्रकरण के बाद पूर्व प्रधानमंत्रियों पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर डॉ. मनमोहन सिंह तक के सबके आचरण के वह प्रसंग सामने आ गये हैं कि अपने विरोधियों की बात को किस धैर्य के साथ वह सुनते थे और उनके विरोध के अधिकार की कितनी रक्षा करते थे। पंडित नेहरू का बिहार का सैयद शहाबुद्दीन प्रकरण आज अचानक चर्चा में आ गया है। बिहार में पंडित नेहरू को काले झंडे दिखाने वाले शहाबुद्दीन कैसे लोक सेवा आयोग के सेकंड टापर बने थे। डॉ. मनमोहन सिंह ने जेएनयू के छात्रों के विरोध का कैसे जवाब दिया और उन्हें दिये गये नोटिस कैसे वापस करवाये गये। किस तरह राजीव गोस्वामी के आत्मदाह प्रकरण में अस्पताल जाकर उनका हाल पूछा और विदेश तक उसका इलाज करवाने के निर्देश दिये। यह सब आज याद किया जाने लगा है। क्योंकि इन्होंने इस विरोध के लिये इनके खिलाफ देशद्रोह के मामले नहीं बनवाये।

आज मतभिन्नता के लिये भाजपा शासन में केंद्र से लेकर राज्यों तक कहीं कोई स्थान नहीं बचा है। भिन्न मत रखने वाले को व्यक्तिगत दुश्मन मानकर उसे हर तरह से कुचलने का प्रयास किया जाता है। अभी मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक और प्रधानमंत्री का किसानों की मौतों को लेकर जो संवाद सामने आया है उसमें 500 किसानों की मौत पर यह कहना कि यह लोग मेरे लिये या मेरे कारण नहीं मरे हैं। प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता का इससे बड़ा नकारात्मक पक्ष और कुछ नहीं हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने से पहले ही जिस तरह से पंजाब सरकार को दोषी ठहराने का प्रयास किया जा रहा है उससे पुराने सारे प्रकरण अनचाहे की तुलना में आ गये हैं। आज जनता को किसी भी ऐसे प्रयास से गुमराह नहीं किया जा सकता। क्योंकि बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी ने हर आदमी को यह सोचने पर विवश कर दिया है कि यह सरकार केवल कुछ बड़े पूंजीपतियों के हित की ही रक्षा कर रही है। आम आदमी को मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम के नाम पर ही उलझाये रखना चाहती है।

2021 के दौरान विधायी विभाग की विभिन्न पहल, कार्यक्रम, योजनाएं और उपलब्धियां

शिमला। जहां तक केंद्र सरकार के विधायी कार्य का संबंध है, इस संदर्भ में विधायी विभाग मुख्य रूप से एक सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। यह विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के विधायी प्रस्तावों का समय पर प्रसंस्करण सुनिश्चित करता है। इस संदर्भ में विधायी विभाग सरकार के मंत्रालयों/विभागों को कानून के माध्यम से नीतिगत उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विधायी विभाग संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं में केंद्रीय कानूनों के अनुवाद में राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करता है।

विभाग द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य

1 जनवरी, 2021 से 22 दिसंबर, 2021 की अवधि के दौरान, इस विभाग ने कैबिनेट/नए विधायी प्रस्तावों के लिए 84 नोटों की जांच की और संबंधित मंत्रालयों/विभागों से परामर्श करने के बाद मसौदा विधेयकों/अध्यादेशों का मसौदा तैयार किया। कैबिनेट की मंजूरी के बाद, इस अवधि के दौरान 50 विधेयकों को संसद में पेश करने के लिए भेजा गया। पहले से ही संसद के समक्ष लंबित विधेयक और 1 जनवरी, 2021 से 22 दिसंबर, 2021 की अवधि के दौरान पेश किए गए 46 विधेयकों सहित संविधान के द्धएक सौ सत्ताईसवें संशोधन विधेयक, 2021 (105वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2021 के रूप में)अधिनियमित किया गया है उपरोद्र अवधि के दौरान संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति द्वारा कुल 10 अध्यादेशों को लागू किया गया है। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान विभाग द्वारा 1977 वैधानिक नियमों, विनियमों, आदेशों और अधिसूचनाओं की भी जांच और समीक्षा की गई थी।

चुनाव कानून और चुनाव सुधार

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन करने के लिए संसद द्वारा 21.12.2021 को चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया गया है। उक्त विधेयक में निम्नलिखित की परिकल्पना की गई है:

मतदाता सूची को आधार प्रणाली से जोड़ने से एक ही व्यक्ति के विभिन्न स्थानों पर एकाधिक नामांकन की समस्या पर अंकुश लगेगा(मतदाता सूची में नामांकन के लिए कई चुनाव तिथियां मतदाता आधार का विस्तार करेंगी और इसके परिणामस्वरूप चुनावी प्रक्रिया में पात्र मतदाताओं की अधिक भागीदारी होगी)

हमारे चुनावों के संचालन के साथ-साथ लैंगिक समानता और समावेशिता की स्वीकृत नीति के अनुरूप विधियों को लैंगिक रूप से तटस्थ बनाना(और कर्मचारियों या परिसरों आदि की आवश्यकता के संदर्भ में चुनाव संचालन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना।

विधायी प्रारूपण और अनुसंधान संस्थान (आईएलआई आर)

विधायी प्रारूपण एक विशिष्ट कार्य है जिसमें प्रारूपण कौशल और विशेषज्ञता शामिल है। कानूनों के गहन ज्ञान और उनके नियमित अद्यतन के अलावा, विधायी प्रारूपण के कौशल को बढ़ाने के लिए निरंतर और सतत प्रयासों की आवश्यकता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के अधिकारियों को विधायी प्रस्तावों और कानून के छात्रों के संबंध में विधायी प्रारूपण में योग्यता और कौशल विकसित करने के लिए प्रशिक्षण और अभिविन्यास की आवश्यकता होती है।

जनवरी, 1989 में, देश में विधायी प्रस्तावों के साथ-साथ प्रशिक्षित विधायी परामर्शदाता के संदर्भ में प्रशिक्षित अधिकारियों की उपलब्धता बढ़ाने की दृष्टि से, विधायी प्रारूपण और अनुसंधान संस्थान (आईएलडीआर) को विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग के एक विंग के रूप में स्थापित किया गया था।

आईएलडीआर हर वर्ष विधायी प्रारूपण में एक बुनियादी पाठयक्रम और एक अधिमूल्यन पाठयक्रम आयोजित करता है जो इस प्रकार है:

बेसिक कोर्स तीन महीने की अवधि का है और यह राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के मध्यम स्तर के अधिकारियों के लिए होता है।

केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों के मध्य स्तर के अधिकारियों के लिए अधिमूल्यन पाठयक्रम पंद्रह दिनों की अवधि का है।

कानून के छात्रों के लिए स्वैच्छिक इंटर्नशिप योजना है। इस योजना का उद्देश्य छात्रों को विधायी प्रारूपण कौशल में रुचि पैदा करने और विधायी विभाग की प्रकृति और कामकाज के बारे में जानकारी रखने के लिए प्रेरित करना है। स्वैच्छिक इंटर्नशिप योजना कानून के छात्रों के लिए तैयार की गई है जो तीन वर्ष के एलएलबी पाठयक्रम के तीसरे वर्ष या पांच वर्षीय एलएलबी पाठयक्रम के चौथे या पांचवें वर्ष में अध्ययन कर रहे हैं, जिसकी अवधि चार से छह सप्ताह है। उक्त योजना वर्ष 2013 से शुरू की गई है। कोविड-19 महामारी और सामाजिक दूरी के मानदंडों के कारण स्वैच्छिक इंटर्नशिप योजना को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है।

केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के मध्यम स्तर के अधिकारियों के लिए 23 जून, 2021 से 25 जून, 2021 तक तीन दिनों के लिए विधायी प्रारूपण पर एक ऑनलाइन कैप्सूल पाठयक्रम का आयोजन किया गया और इस पाठयक्रम में 29 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

राज्य सरकार/राज्य विधान सभाओं के सभी अधिकारियों एवं 40 प्रतिभागियों के लिए विधायी प्रारूपण में एक माह का ऑनलाइन प्रशिक्षण 8 नवम्बर, 2021 से 10 दिसम्बर, 2021 तक आयोजित किया गया।

भारत कोड सूचना प्रणाली (आईसीआईएस)

प्रत्येक वर्ष विधायिका द्वारा कई विधान (प्रमुख अधिनियम और संशोधन अधिनियम दोनों) पारित किए जाते हैं और न्यायपालिका, अधिवक्ताओं के साथ-साथ नागरिकों के लिए आवश्यक होने पर प्रासंगिक और अद्यतित अधिनियमों को संदर्भित करना मुश्किल होता है। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, कानून और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) के मार्गदर्शन में भारत कोड सूचना प्रणाली (आईसीआईएस), एनआईसी की मदद से उनके संबंधित अधीनस्थ विधानों सहित सभी केंद्रीय और राज्य विधानों का वन स्टॉप डिजिटल रिपोजिटरी विकसित किया गया है। यह सभी नागरिकों के कानूनी सशक्तिकरण के साथ-साथ एक राष्ट्र-एक मंच के उद्देश्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब तक, वर्ष 1838 से वर्ष 2021 तक कुल 823 केंद्रीय अधिनियमों को अद्यतन किया गया है और आम जनता के लिए (आईसीआईएस में)अपलोड किया गया है।

राजभाषा विंग ने भारत का संविधान (पांचवां द्विभाषिक पॉकेट संस्करण) प्रकाशित किया है, जिसे विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने दिनांक 25/11/2021 को डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सभागार में आयोजित समारोह के दौरान जारी किया था। इस संस्करण में भारत के संविधान के मूलपाठ के साथ संवैधानिक (एक सौ पांचवां संशोधन) अधिनियम, 2021 तक के सभी संशोधनों को शामिल करके अद्यतन किया गया है।

एमओएचयूए की योजनाओं और मिशन से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा देने में मदद

शिमला। 2021 के दौरान आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं और मिशन ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल को कई तरह से बढ़ावा देने में मदद की है। योजनाओं और मिशन ने आत्मनिर्भर भारत को सीधे तौर पर और मेक इन इंडिया पहल को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (पीएमएवाई – यू) शहरों में घरों की कमी को दूर करने के लिये शुरू की गयी थी जिसमें झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों सहित सभी योग्य शहरी परिवारों को वर्ष 2022 तक पक्का घर दिया जाना है। तेज गति के साथ घरों के निर्माण के लिये इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक काफी इनोवेटिव थी, विशेष रूप से ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज – इंडिया (जीएचटीसी – इंडिया) पहल के हिस्से के रूप में छह राज्यों की लाइट हाउस परियोजनाएं। इस पहल ने भारत में निर्माण प्रौद्योगिकी में एक नये युग का नेतृत्व किया, जिससे मेक इन इंडिया पहल को बल मिला। लोगों और प्रौद्योगिकी को एक साथ लाकर, एलएचपी (लाइट हाउस परियोजनाएं) एक नये इकोसिस्टम का मार्ग प्रशस्त करेंगी जहां लागत प्रभावी, पर्यावरण के अनुकूल और तेज निर्माण के लिये विश्व स्तर पर अपनी क्षमता साबित कर चुकी तकनीकों को अपनाया जायेगा। इन एलएचपी के कई फायदे हैं, जिनमें मुख्य हैं लंबे समय तक इस्तेमाल योग्य, हर जलवायु में कारगर, किफायती, सुरक्षित और तेज निर्माण।

एमओएचयूए ने टेक्नोग्राही के लिये नामांकन म डयूल भी लॉन्च किया है, जहां आईआईटी, एनआईटी, इंजीनियरिंग, प्लानिंग और आर्किटेक्चर कॉलेजों के छात्र, फैकल्टी मेंबर, शिक्षाविद और हितधारक सीखने, परामर्श, विचारों और समाधानों के विकास, प्रयोग, इनोवेशन और तकनीकी जागरूकता के लिए छह एलएचपी साइट की जारी प्रयोगशालाओं का दौरा करने के लिए खुद को पंजीकृत करते हैं। इससे उन्हें उपयोग की जा रही प्रौद्योगिकियों की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलती है और बदले में, वे 'मेक इन इंडिया' दृष्टिकोण के लिये निर्माण क्षेत्र में अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्रौद्योगिकियों में ढल सकते हैं और उन्हें अपना सकते हैं।

कम लागत, तेज और गुणवत्तापूर्ण घरों के निर्माण के लिये नवीन, टिकाऊ, पर्यावरण के अनुकूल और आपदाओं का सामना करने योग्य तकनीकों और निर्माण सामग्री को अपनाने की सुविधा के साथ एक प्रौद्योगिकी उप – मिशन (टीएसएम) की स्थापना की गयी थी। टीएसएम न केवल पीएमएवाई – यू के तहत तेजी से और सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करने उद्देश्य रख रहा है बल्कि देश के समग्र आवास निर्माण क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लाने की क्षमता भी रखता है।

आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत वहन योग्य किराये पर घरों की परियोजना (एआरएचसी) कम किराये के आवासीय समाधानों का एक स्थायी इकोसिस्टम बनाकर और शहरी प्रवासियों/गरीबों के लिए कम किराये के आवास की आवश्यकता को शामिल करते हुए 'सभी के लिए आवास' के समग्र उद्देश्य को प्राप्त करने के 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' की सोच को उल्लेखनीय रूप से साकार करती है। एआरएचसी उन्हें उनके कार्यस्थल के पास आवश्यक नागरिक सुविधाओं के साथ सम्मानजनक जीवन प्रदान करेगी।

स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम) के तहत, सिटी इनोवेशन एक्सचेंज (सीआईएक्स) प्लेटफॉर्म को शहरों में इनोवेटिव कार्य प्रणालियों के लिए शुरू किया गया था। प्लेटफॉर्म भारत के बढ़ते इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि था और शहरों में इनोवेटिव कार्य प्रणालियों को बढ़ावा देने पर केंद्रित था। सीआईएक्स, एक 'ओपन इनोवेशन' प्रक्रिया के माध्यम से, इनोवेटर्स के द्वारा शहरी चुनौतियों के समाधानों के विकास – जांच – आपूर्ति में साथ देता है। यह पहल शहरों को अधिक आत्मनिर्भर और अपने नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने और सेवायें प्रदान करने में सक्षम बनाकर, नये और आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिये सरकार के द्वारा चलाये जा रहे प्रयासों में से एक है। एससीएम लक्ष्यों को आसान बनाने की दिशा में एक और कदम, स्मार्टकोड एक ऐसा मंच है जिसे एमओएचयूए द्वारा लॉन्च किया गया था और जो इकोसिस्टम के सभी हितधारकों को शहरी प्रशासन के लिये विभिन्न समाधानों और अनुप्रयोगों को ओपन – सोर्स कोड के लिये संग्राहक में योगदान करने में सक्षम बनाता है। यह शहरी चुनौतियों का समाधान करने के लिये डिजिटल अनुप्रयोगों के विकास और इस्तेमाल के लिये शहरी स्थानीय निकायों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें शहरों को यह सुविधा मिलती है कि वो किसी नये समाधान को पूरी तरह शुरुआत से विकसित करने की जगह पहले से मौजूद कोड को अपनी जरूरत के आधार पर विकसित कर सकें। इंडिया अर्बन डेटा एक्सचेंज को स्मार्ट सिटीज मिशन और इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ साइंस (आईआईएससी), बेंगलुरु के बीच साझेदारी में विकसित किया गया है। एससीएम के तहत परियोजनाओं की उचित समीक्षा और कार्यान्वयन में परियोजना निगरानी के लिए एक नयी स्मार्ट सिटी वेबसाइट और भू – स्थानिक प्रबंधन सूचना प्रणाली जीएमआईएस भी विकसित की गयी।

आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने सभी नागरिकों की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए सार्वजनिक परिवहन में सुधार करने वाले समाधान विकसित करने के लिये शहरों, नागरिक समूहों और स्टार्ट – अप को एक साथ लाने के उद्देश्य से ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल लॉन्च किया। इसने ईटस्मार्ट सिटीज चैलेंज भी शुरू किया जिसका उद्देश्य स्मार्ट शहरों को एक ऐसी योजना विकसित करने के लिए प्रेरित करना था जो संस्थाओं, वास्तविक, सामाजिक और आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा समर्थित हो और भोजन से जुड़े मुद्दों को हल करने के साथ स्वस्थ, सुरक्षित और लंबे समय तक कायम रह सकने वाले फूड इकोसिस्टम को विकसित करने में मदद करे।

राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन एक नागरिक केंद्रित शासन बनाने की दिशा में शहरी और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से अत्यधिक तालमेल का उपयोग करने के लिये आदर्श स्थान बनायेगा जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'मिनिमम गर्वनमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस' के दृष्टिकोण को दर्शाता है। नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन (एनयूडीएम) शहरी भारत के लिए एक साझा डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार करेगा, जो शहरों और कस्बों को समग्र समर्थन प्रदान करने के लिये लोगों, प्रक्रिया और प्लेटफॉर्म के तीन स्तंभों पर काम करेगा। यह 2022 तक 2022 शहरों में और 2024 तक भारत के सभी शहरों और कस्बों में शहरी शासन और सेवा वितरण के लिए एक नागरिक – केंद्रित और इकोसिस्टम – संचालित दृष्टिकोण को संस्थागत रूप देगा।

स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने के लिये, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के तहत, एमओएचयूए ने भारत में भोजन का ऑर्डर और डिलीवरी के लिये सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफार्म जोमैटो के साथ एक समझौता किया है, जिससे उसके फूड – टेक प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीट फूड वेंडर्स शामिल हो सकें। इसने स्ट्रीट फूड वेंडर्स की हजारों उपभोक्ताओं तक ऑनलाइन पहुंच प्रदान की है और इन विक्रेताओं को अपना व्यवसाय बढ़ाने में मदद की है। इसके अलावा, एमओएचयूए ने पीएम स्वनिधि लाभार्थियों और उनके परिवारों की सामाजिक – आर्थिक रुपरेखा बनाने के लिये पीएम स्वनिधि से समृद्धि के लिए मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया – जिससे उन्हें केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जा सके।

आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत, डीएवाई – एनयूएलएम योजना ने शहरी गरीब महिलाओं को पर्याप्त कौशल और अवसर प्रदान करने और उन्हें लंबे समय तक कायम रह सकने वाले सूक्ष्म उद्यमों स्थापित करने में सक्षम बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। यह इन महिलाओं के समर्थन में प्रणाली तैयार करने के लिये शहरी गरीब परिवारों की महिलाओं को एसएचजी और उनके संघों से जोड़ता है। लगभग 60 लाख सदस्यों के साथ विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 5.7 लाख से अधिक एसएचजी का गठन किया गया है। इनमें से कई स्वयं सहायता समूह आजीविका से जुड़ी गतिविधियों में लगे हुए हैं, और हस्तशिल्प, वस्त्र, खिलौने, खाने योग्य वस्तुओं आदि का उत्पादन करते हैं। ये मुख्य रूप से स्थानीय बाजारों में बेचे जा रहे थे और अक्सर लोगो की नजर में आने और व्यापक बाजारों तक पहुंचने में इन्हें बाधाओं का सामना करना पड़ता था।

शहरी ट्रांसपोर्ट मिशन के तहत मेट्रो कोच जो पहले स्पेन, दक्षिण कोरिया और चीन से आयात किये जाते थे, अब देश के भीतर ही निर्मित किये जा रहे हैं। उनकी गुणवत्ता अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है और वे आस्ट्रेलिया और कनाडा को भी निर्यात किये जा रहे हैं।

सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत, नया संसद भवन आजादी/75 की सोच का एक मूलभूत हिस्सा है और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में हमारी प्रतिबद्धता और प्रयासों का प्रतीक है। नयी संसद भारतीय सामग्री का उपयोग करके भारतीयों द्वारा डिजाइन और निर्माण की जा रही है। यह पहली भारतीय संसद होगी जो लोगों की, लोगों के द्वारा और लोगों के लिये बनायी गयी है।

नये शहरी भारत के लिए माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिये, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने देश भर में शहरी परिदृश्य को बदलने पर आधारित एक प्रदर्शनी के साथ आजादी/75 सम्मेलन – सह – एक्सपो का आयोजन लखनऊ, उत्तर प्रदेश में किया।

उपलब्धियां और पहल

प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (पीएमएवाई – यू)

प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (पीएमएवाई – यू) 25 जून, 2015 को ईडब्ल्यूएस/एलआईजी और एमआईजी श्रेणी के बीच शहरी आवास की कमी को दूर करने के लिए शुरू किया गया था, जिसमें वर्ष 2022 तक झुग्गी – झोपड़ी में रहने वालों के साथ योग्य शहरी परिवारों को पक्का घर सुनिश्चित किया गया है।

1.12 करोड़ आवासों की कुल निर्धारित मांग के मुकाबले 1.14 करोड़ आवास स्वीकृत किये गये हैं। इनमें से कुल 91.5 लाख घर पर निर्माण किया जा रहा है और 53 लाख घर 12 दिसंबर, 2021 तक पूरे / वितरित किये गये थे।

कुल 17.35 लाख लाभार्थियों ने क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के माध्यम से आवास ऋण पर सब्सिडी का लाभ उठाया है, जिसमें से 6.15 लाख लाभार्थी मध्यम आय वर्ग से हैं।

790.57 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के साथ लाइट हाउस परियोजनाओं में कुल 6,368 घरों का निर्माण किया जा रहा है।

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)

77,640 करोड़ रुपये के कुल एसएएपी आकार के मुकाबले 80,713 करोड़ रुपये की 5818 परियोजनाएं जमीन पर हैं। अब तक कुल 50,118 करोड़ रुपये का खर्च के साथ इन परियोजना में से 57,414 करोड़ रुपये के कार्य (इसमें पूरी हो चुकी 22,756 करोड़ रुपये की परियोजनाएं शामिल हैं) भौतिक रूप में पूरे किये जा चुके हैं ।

अमृत परियोजनाओं की क्षेत्रवार प्रगति निम्नानुसार है:

क्षेत्र	परियोजनाएं पूरी हुईं		जारी परियोजनाए		कुल परियोजनाए	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
जलापूर्ति	740	11,530	586	30,320	1,326	41,850
सीवरेज और सेप्टेज	370	8,259	483	25,074	853	33,332
बरसाती पानी की निकासी	612	1,114	187	1,829	799	2,943
गैर – मोटर चालित शहरी परिवहन	218	397	131	626	349	1,023
पार्क और हरे भरे स्थान	1,943	1,130	548	435	2,491	1,565
कुल	3,883	22,430	1,935	58,284	5,818	80,713

अमृत 2.0 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 1 अक्तूबर 2021 को शहरों को 'जल सुरक्षित' बनाने और सभी घरों में नल कनेक्शन से पानी पहुंचाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। अमृत 2.0 के लिए कुल निर्देशात्मक परिव्यय 2,77,000 करोड़ रुपये है, जिसमें 2021 – 22 से 2025 – 26 की अवधि के लिए 76,760 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा शामिल है। जल आपूर्ति क्षेत्र में, 41,850 करोड़ रुपये की 1,326 परियोजनाओं के लिए अनुबंध प्रदान किये गये हैं। जिसमें 11,530 करोड़ रुपये की 740 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। इसके अलावा, 358 करोड़ रुपये की 18 परियोजनाएं निविदा के विभिन्न चरणों में हैं। सभी को नल से जल पहुंचाने के लिये 1.39 करोड़ नल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य है। अमृत के माध्यम से अन्य योजनाओं के साथ अब तक 1.18 करोड़ नल कनेक्शन प्रदान किये गये हैं।

स्वच्छ भारत मिशन – शहरी (एसबीएम – यू)

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2 अक्तूबर 2014 को भारत को खुले में शौच से मुक्त बनाने की दृष्टि से शुरू किया गया था। मिशन के तहत, 31 शहरों ने खुद को ओडीएफ के रूप में घोषित किया है और 58 को 1 जनवरी 2021 से ओडीएफ के रूप में प्रमाणित किया गया है। 1 जनवरी 2021 से ओडीएफ प्लस प्रमाणित शहरों की संख्या में 1,828 और ओडीएफ प्लस प्लस प्रमाणित शहरों की संख्या में 472 की बढ़त दर्ज हुई है। अब तक निर्मित व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों की संख्या में 20,892 और सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों की संख्या में 17,866 की वृद्धि हुई है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत, अब तक 86,403 वार्ड में घर – घर जाकर 100 प्रतिशत कलेक्शन हो रहा गया है और 100 प्रतिशत स्रोत पृथक्करण बढ़कर 77,415 वार्ड तक हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप कुल अपशिष्ट प्रसंस्करण 1 जनवरी 2021 तक के 68 प्रतिशत की तुलना में 70 प्रतिशत तक बढ़ गया है।

स्वच्छ भारत मिशन – शहरी 2.0 : माननीय प्रधानमंत्री ने 'सार्वभौमिक दृष्टिकोण' अपनाने और सभी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में स्वच्छता और पानी की उपलब्धता को लेकर 'परिपूर्णता' की दिशा में एक कदम बढ़ाने के लिये 1 अक्तूबर, 2021 को लगभग 4.4 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ स्वच्छ भारत मिशन – शहरी 2.0 के दूसरे चरण का शुभारंभ किया।

दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई – एनयूएलएम)

डीएवाई – एनयूएलएम एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य मजबूत सामुदायिक संस्थानों के निर्माण, कौशल प्रशिक्षण, स्वरोजगार के लिए किफायती ऋण तक पहुंच, रेहड़ी – पटरी वालों के लिए सहायता और शहरी बेघरों के लिये आश्रयों के माध्यम से शहरी गरीबी को कम करना है। शुरुआत के बाद से, योजना 28 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और 3,806 शहरों में फैल गई है। इस योजना के तहत, शहरी बेघरों के लिये 1.30 लाख आश्रय स्थल बनाये गये और 66.70 लाख महिला सदस्यों को 6.4 लाख स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में शामिल किया गया।

25 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में अमेज़ॅन और फ्लिपकार्ट जैसे ई – कॉमर्स दिग्गजों के साथ ई – कॉमर्स पोर्टल पर 5,000 एसएचजी सदस्यों द्वारा बनाये गये 2,000 से अधिक उत्पादों की बिक्री के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) लागू किये गये थे। स्थानीय संस्कृति से जुड़े उत्पादों जैसे हस्तशिल्प, भोजन, परिधान, सजावटी उत्पाद को लोगों की नजरों में लाने और बड़े बाजारों तक पहुंच दिलाने के लक्ष्य के साथ 'सोन चिरैया' ब्रांड को लॉन्च किया गया था। मिशन ने शहरों के स्ट्रीट वेंडर को उनके अधिकारों की रक्षा के लिये 26.50 लाख वेंडिंग सर्टिफिकेट (सीओवी) प्रदान किये हैं। मिशन ने पीएआईएसए पोर्टल के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं को प्रशिक्षण शुल्क के भुगतान की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया है, जो मिशन के तहत लाभार्थियों को भुगतान करने के लिए केंद्रीकृत इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है।

आज़ादी का अमृत महोत्सव: एमओएचयूए के चल रहे 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' के एक भाग के रूप में, पीएआईएसए पोर्टल के माध्यम से एरिया लेवल फेडरेशन (एएलएफ) यानी स्वयं सहायता समूहों के फेडरेशन को रिवॉल्विंग फंड (आरएफ) का समर्थन 30.09.2021 को शुरू किया गया था।

पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि)

स्ट्रीट वेंडर्स को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाने के लिए पीएम स्वनिधि की शुरुआत की गयी थी। 'स्वादिष्ट व्यंजन की आधुनिक दुकान (स्वाद)' के तहत, एमओएचयूए ने स्ट्रीट फूड वेंडर्स (एसएफवी) को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए स्वीगी और जोमैटो के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। वर्तमान में 8,486 से अधिक एसएफवी प्लेटफॉर्म में शामिल किये गये हैं और उन्होंने 4.9 करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री की है।

लाभार्थियों को यूपीआई आईडी, क्यूआर कोड जारी करने और डिजिटल प्रशिक्षण देने के लिये भारतपे, एमस्वाइप, फोनपे, पेटीएम, एसवेयर जैसे डिजिटल भुगतान एग्रीगेटर्स (डीपीए) के साथ गठजोड़ किया गया। लगभग 24.5 लाख स्ट्रीट वेंडर (एसवी) को डिजिटल रूप से जोड़ा गया है, जिनमें से 9.8 लाख वेंडर डिजिटल रूप से सक्रिय हैं जिन्होंने अब तक 10.9 करोड़ डिजिटल लेनदेन किये हैं।

पहली किश्त के तहत 42 लाख से अधिक योग्य ऋण आवेदन और दूसरी किश्त के तहत 773,986 योग्य ऋण आवेदन जमा किये गये थे। इनमें से पहली किश्त के तहत 30 लाख से अधिक ऋण और दूसरी किश्त के तहत 46,931 ऋण स्वीकृत किए गए और पहली किश्त के तहत 27 लाख से अधिक ऋण और दूसरी किश्त के तहत 33,471 ऋण वितरित किये गये। पहली किश्त के तहत वितरित ऋण की कुल राशि 2656.97 करोड़ रुपये है और दूसरी किश्त के तहत 66.62 करोड़ रुपये है।

शहरी परिवहन

जून, 2021 में 14,788 करोड़ रुपये की पूर्ण लागत पर 58.19 किलोमीटर लंबी एक मेट्रो परियोजना अर्थात बैंगलोर मेट्रो रेल परियोजना चरण 2ए और 2बी को मंजूरी दी गयी है। दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई कोलकाता और नागपुर शहरों में 31 किलोमीटर मेट्रो रेल लाइनें चालू की गयी हैं। मेक – इन – इंडिया पहल के तहत, मंत्रालय ने जनवरी, 2021 में उन वस्तुओं की एक सूची जारी की है, जिसकी सार्वजनिक खरीद केवल स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से की जायेगी। दिल्ली मेट्रो के नेटवर्क पर 94 किमी पर चालक रहित ट्रेन संचालन के साथ, भारत दुनिया की मेट्रो प्रणालियों के विशिष्ट वर्ग में चौथे स्थान पर है जो चालक रहित ट्रेनों का संचालन करती है।

हिमाचल प्रदेश में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाने का निर्णय

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य में कोविड-19 स्थिति की समीक्षा की गई। मंत्रिमण्डल ने राज्य में कोविड-19 मामलों की संख्या में वृद्धि के दृष्टिगत कुछ प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया। बैठक में प्रदेश भर में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाने के साथ इनडोर खेल परिसरों, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल, जिम, लंगर इत्यादि को बंद रखने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त राज्य में मैरिज पैलेस, बैंक्वेट हॉल इत्यादि में इनडोर क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों को ही अनुमति देने का भी निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने शिक्षा विभाग के उन अंशकालिक जलवाहकों की सेवाओं को नियमित करने का निर्णय लिया, जिन्होंने 30 सितम्बर, 2021 तक 11 वर्ष की सेवा अवधि (अंशकालिक रूप से 7 वर्ष और दैनिक वेतन भोगी के रूप में चार वर्ष) पूर्ण कर ली है। इस निर्णय से प्रदेश के 1782 जलवाहक लाभान्वित होंगे।

मंत्रिमण्डल ने वन विभाग में अनुबंध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के 129 पदों को भरने का निर्णय लिया।

बैठक में ग्राम पंचायत मुराग, शरण और कांढा-बगस्याड़ को मंडी जिले के विकास खण्ड गोहर से विकास खण्ड सराज स्थित जंजैहली में शामिल करने का भी निर्णय लिया गया ताकि इन पंचायतों के लोगों को सुविधा हो सके।

मंत्रिण्डल ने मण्डी सदर तहसील के अन्तर्गत धुआं देवी को वर्तमान पटवार वृत्त पंडोह, मझवाड़ और नेला से निकाल कर धुआं देवी में नया पटवार वृत्त खोलने का निर्णय लिया।

बैठक में क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए मंडी जिले की चच्योट तहसील के तहत पटवार वृत्त किलिंग के सृजन को भी मंजूरी प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने कुल्लू जिला के मनाली क्षेत्र के बड़ागांव में पर्यटन विकास के संस्कृति केंद्र के उन्नयन, संचालन और प्रबंधन का कार्य सफल बोलीदाता मैसर्स माया डिजिटल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड मुंबई-दीपा रोशन लाल साही (कंसोरटियम) को देने पर भी अपनी सहमति दी। यहां उपलब्ध सुविधाएं पर्यटन को नए आयाम देंगी और यह राज्य के कारीगरों के लिए कला और शिल्प केंद्र के रूप में उभरेगा।

मंत्रिमण्डल ने परिवहन क्षेत्र में बदलाव लाते हुए सुरक्षित, लचीली और उच्च मानकों पर आधारित परिवहन आधारभूत संरचना विकसित करने तथा हरित विकास को बढ़ावा देते हुए राज्य स्तरीय परिवहन एवं लॉजिस्टिक संस्थानों को सुदृढ़ करने तथा कनेक्टिविटी में सुधार और गतिशीलता को बढ़ाने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश सड़क और अन्य अधोसंरचना विकास निगम को एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में परिवर्तित करने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश सरकार और हरियाणा सरकार के बीच सोम नदी पर आदी बद्री बांध के निर्माण और सरस्वती नदी के साथ इसे जोड़ने संबंधित समझौता ज्ञापन को भी मंजूरी दी।

मंत्रिमण्डल ने मंडी जिला के कोट में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पंडोह को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने तथा इन स्वास्थ्य संस्थानों के लिए विभिन्न श्रेणियों के नौ पदों के सृजन का भी निर्णय लिया।

बैठक में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रिवालसर को स्तरोन्नत कर नागरिक अस्पताल बनाने तथा इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 20 पदों के सृजन एवं भरने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डैहर को 30 बिस्तर से 40 बिस्तर क्षमता के नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जाच्छ को स्तरोन्नत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने और इन स्वास्थ्य संस्थानों में विभिन्न श्रेणियों के 20 पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में ग्राम पंचायत रंधाड़ा और ग्राम पंचायत मझवाड़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने और इनमें तीन-तीन पदों के सृजन एवं भरने को भी स्वीकृति प्रदान की

मंत्रिमण्डल ने कुल्लू जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रायसन को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने और यहां चार पदों के सृजन को भी स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में मण्डी जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों चौंतड़ा और अशला को स्तरोन्नत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने और इन स्वास्थ्य केन्द्रों में नौ पदों के सृजन एवं भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में कुल्लू जिला के नागरिक अस्पताल मनाली को 100 बिस्तर के अस्पताल में स्तरोन्नत करने और इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 33 पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी गई ताकि क्षेत्र के लोगों को सुविधा हो सके।

मंत्रिमण्डल ने क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए उप-स्वास्थ्य केन्द्र राजगढ़ को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा जिला मण्डी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गागल को समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया।

बैठक में जिला सोलन के स्वास्थ्य उप-केन्द्र बागा को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने जिला मण्डी के लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य उप-केन्द्र गोलवां को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा पिपली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का निर्णय लिया।

बैठक में जिला चम्बा के बनीखेत में आयोजित आशर नाग मेले को जिला स्तरीय मेले का दर्जा देने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने जिला सिरमौर की राजकीय उच्च पाठशाला पोटा मानल, सखोली, शौगा कांडो, थौन्टा तथा कोटला पंजौला को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला तथा राजकीय माध्यमिक पाठशाला बैला, घुण्डा तथा बदवा को राजकीय उच्च पाठशाला में स्तरोन्नत कर, इन संस्थानों के संचालन के लिए विभिन्न श्रणियों के 42 पदों को सृजित करने का निर्णय लिया।

बैठक में जिला सोलन की राजकीय प्राथमिक पाठशाला शामटी और रबौण को राजकीय माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने तथा इनके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के नौ पदों को सृजित करने को मंजूरी प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने जिला चम्बा के भरमौर क्षेत्र की राजकीय माध्यमिक पाठशालाओं धिमला और लग को राजकीय उच्च पाठशालाओं के रूप में स्तरोन्नत करने तथा स्कूल के प्रबन्धन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को सृजित करने और भरने का भी निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने जिला लाहौल-स्पीति में राजकीय माध्यमिक पाठशालाओं किशोरी और भुजण्ड को राजकीय उच्च पाठशालाओं के रूप में स्तरोन्नत करने और स्कूल के बेहतर प्रबन्धन के लिए विभिन्न श्रेणियों के आठ पदों के सृजन और इन्हें भरने का भी निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने क्षेत्रवासियों की सुविधा के लिए जिला मण्डी के बिरनु में स्वास्थ्य उप-केन्द्र और बाह-की-धार में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने कुल्लू जिला के मनाली क्षेत्र की ग्राम पंचायत करजान के साजला में आवश्यक पदों के सृजन के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का भी निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने क्षेत्रवासियों की सुविधा के लिए मण्डी जिला के विकास खण्ड सुन्दरनगर के किन्दर और विकास खण्ड करसोग के महोग और माहूंनाग में बागवानी विस्तार केन्द्र खोलने का भी निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने जिला मण्डी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मण्डप को 50 बिस्तरों वाले नागरिक अस्पताल के रूप में स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया ताकि क्षेत्रवासी लाभान्वित हो सकें।

मंत्रिमण्डल में इन्दिरा गांधी राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान शिमला और अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपरस्पैशिलिटी चमियाणा में सीधी भर्ती के माध्यम से सहायक प्रोफेसर के सात पद भरने का भी निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने जिला सिरमौर के हीरपुर, भुप्पुर और खोदरी माजरी गांवों में आवश्यक पदों के सृजन के साथ नये पशु औषधालय खोलने का निर्णय लिया।

मुख्यमंत्री ने हिमाचली प्रवासी ग्लोबल एसोसिएशन को सम्बोधित किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने हिमाचली प्रवासी ग्लोबल एसोसिएशन द्वारा आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर भारतीयों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते

हुए हिमाचल प्रदेश की समृद्ध संस्कृति और परंपरा को प्रभावी ढंग से संरक्षित करने के लिए दुनिया के विभिन्न भागों में रहने वाले हिमाचलियों की सराहना की।

जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रवासी भारतीय दिवस प्रवासी भारतीय समुदाय को समर्पित दिन है। उन्होंने प्रवासी हिमाचलियों से राज्य में निवेश करके प्रदेश के विकास में भागीदार बनने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोगों ने अपनी मेहनत और लगन से दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अपना एक विशेष स्थान बनाया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक छोटा राज्य होते हुए भी देश के बड़े राज्यों को विकास के विभिन्न क्षेत्रों में रास्ता दिखाया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टेर्ज मीट का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्ज मीट के बाद आयोजित दो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में लगभग 42,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की ग्राउंड ब्रेकिंग में सफल रही है, जो इस आयोजन की सफलता का प्रमाण है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम प्रवासी भारतीयों के मध्य सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए मील पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि हिमाचली प्रवासी और विभिन्न प्रवासी संघों ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में हिमाचली संस्कृति के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि यह वेबिनार विदेशों में रह रहे हिमाचलियों के ज्ञान, विशेषज्ञता और कौशल को समृद्ध करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करेगा। उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान हिमाचली लोगों के योगदान की भी सराहना की।

हिमाचली प्रवासी ग्लोबल एसोसिएशन के अध्यक्ष, कनाडा में रहने वाले भाग्य चंद्र ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले हिमाचलियों के साथ बेहतर संबंध सुनिश्चित करना है।

मुख्यमंत्री के सलाहकार-एवं-प्रधान निजी सचिव डॉ. आर.एन. बत्ता ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया।

कनाडा में रहने वाले अरुण चौहान, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले डॉ. विशाल शर्मा, संयुक्त अरब अमीरात में मुनीश गुप्ता, ओमान में संजीव शर्मा, ऑस्ट्रेलिया में उमेश सिंह ठाकुर, न्यूजीलैंड में पूनम गुलेरिया, सनी कौशल, इंग्लैड में ममता डाहरू, जर्मनी में विशाल ठाकुर, बहरीन में गोल्डी शर्मा ने इन देशों में पढ़ाई, नौकरी आदि के लिए आने वाले हिमाचलियों की मदद के लिए उठाए जा रहे विभिन्न कदमों के सम्बन्ध में जानकारी दी।

नारी शक्ति पुरस्कार-2021 के लिए नामांकन आमंत्रित

शिमला/शैल। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 'नारी शक्ति पुरस्कार-2021' के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। आवेदन/नामांकन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे और www.awards.gov.in. पोर्टल पर भरे जा सकते हैं। वर्ष 2021 के नारी शक्ति पुरस्कार के लिए 31 जनवरी, 2022 तक प्राप्त सभी आवेदनों/नामांकनों पर विचार किया जाएगा।

यह पुरस्कार महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने को मान्यता देते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार-2021 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च, 2022) के अवसर पर दिया जाएगा।

नारी शक्ति पुरस्कार के लिए पात्रता मानदंड और अन्य विवरण के संबंध में दिशानिर्देश https://wcd.nic.in/acts/guidelines-nari-shakti-puraskar-2021-onwards पर दिए गए हैं।

महिला और बाल विकास मंत्रालय हर साल व्यक्तियों और संस्थानों को महिला सशक्तिकरण, विशेष रूप से कमजोर और हाशिए पर रहने वाली महिलाओं के लिए इनकी सेवा के सम्मान में नारी शक्ति पुरस्कार दिया जाता है। प्रत्येक विजेता को पुरस्कार में रूप में प्रमाणपत्र और दो लाख रुपये की नकद राशि दी जाती है।

पुरस्कार सभी व्यक्तियों और संस्थानों के लिए खुले हैं। पुरस्कारों की अधिकतम संख्या (व्यक्तिगत और संस्थागत सहित) 15 हो सकती है। हालांकि, अधिकतम संख्या में किसी प्रकार की छूट की अनुमति महिला एवं बाल विकास मंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति के विवेक पर दी जा सकती है।

पुरस्कारों के लिए स्व-नामांकन और सिफारिशों पर भी विचार किया जाता है। चयन समिति पर्याप्त औचित्य के साथ अपनी इच्छा के अनुरूप पुरस्कार के लिए किसी व्यक्ति/संस्था की सिफारिश भी कर सकती है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता वाली स्क्रीनिंग कमेटी पुरस्कारों के लिए आवेदन/अनुशंसित संस्थानों और व्यक्तियों की उपलब्धियों पर विचार करते हुए पुरस्कारों के लिए प्राप्त नामांकनों की जांच कर उसे शॉर्टलिस्ट करेगी। पुरस्कार विजेताओं का अंतिम चयन स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति करेगी।

मुख्यमंत्री ने कोविड-19 मामलों की जांच बढ़ाने के निर्देश दिए

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने वर्चुअल माध्यम से राज्य में कोविड-19 महामारी की स्थिति की समीक्षा करने के लिए उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को कोविड-19 जांच बढ़ाने, समूहों में प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने और महामारी की तीसरी लहर के प्रसार को रोकने के निर्देश दिए।

जय राम ठाकुर ने कहा कि कोविड-19 के मामलों में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, इसलिए राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि लोग कोविड अनुरूप व्यवहार बनाएं रखें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिस्तर, ऑक्सीजन, पीपीई किट और दवाइयों की उपलब्धता के संबंध में तैयारियों की समीक्षा की जाए तथा राज्य सरकार द्वारा लगाए गए सभी प्रतिबंधों को सख्ती से लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार अगले कुछ दिनों और हफ्तों में कोविड-19 के मामलों में तेजी से वृद्धि हो सकती है, इसलिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन की व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जाए तथा होम आइसोलेशन के सम्बन्ध में संशोधित दिशा-निर्देशों को लागू किया जाए।

जय राम ठाकुर ने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर उपलब्ध करवाए जाएं, ताकि होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों की नियमित रूप से निगरानी की जा सके। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की परेशानी होने पर मरीजों को तुरंत स्वास्थ्य संस्थानों में पहुंचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मरीजों को लाने-ले जाने के लिए प्रभावी तंत्र विकसित किया जाना चाहिए ताकि मरीजों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने अधिकारियों को पर्याप्त मात्र में ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए ताकि किसी भी आपात स्थिति में किसी भी तरह की दहशत से बचा जा सके। उन्होंने 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का तेजी से टीकाकरण और स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं को ऐहतियाती खुराक लगाने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन नहीं करने वाले पर्यटकों पर नजर रखने और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने पर्यटकों से राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मानक संचालन प्रक्रिया का सख्ती से पालन करने का भी आग्रह किया।

उन्होंने उपायुक्तों को निर्देश दिये कि यह सुनिश्चित किया जाए कि लोगों को बर्फ के कारण कोई असुविधा न हो और बिजली, पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य में मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग कॉलेजों को छोड़कर सभी शैक्षणिक संस्थान इस माह की 26 तारीख तक बंद रहेंगे।

मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने कहा कि राज्य में विभिन्न मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए हितधारकों के साथ निरन्तर जुड़ाव महत्वपूर्ण है।

सचिव भरत खेड़ा ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और बैठक की कार्यवाही का संचालन किया। उन्होंने कोविड-19 की प्रत्याशित तीसरी लहर की तैयारियों के सम्बन्ध में एक प्रस्तुति भी दी।

सभी उपायुक्तों ने अपने-अपने जिलों में पर्यटकों और आम लोगों के लिए कोविड अनुरूप व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी।

प्रधान सचिव राजस्व ओंकार चंद शर्मा, विशेष सचिव सुदेश मोक्टा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक हेमराज बैरवा, निदेशक उच्च शिक्षा डॉ. अमरजीत शर्मा और डॉ. रजनीश पठानिया मुख्यमंत्री के साथ शिमला में उपस्थित थे, जबकि उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों ने अपने-अपने सम्बन्धित जिलों से वर्चुअल माध्यम से बैठक में भाग लिया।

मुख्यमंत्री को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दीं

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने प्रदेश के लोगों के साथ हर्षोल्लास से अपना 57वां जन्मदिवस मनाया। समाज के विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्ध रखने वाले लोगों ने मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास ओक ओवर पहुंच कर उनको उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी और प्रदेश रेडक्रॉस अस्पताल कल्याण अनुभाग की अध्यक्षा डॉ. साधना ठाकुर भी इस अवसर पर उपस्थित थीं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केन्द्रीय मंत्रियों और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने मुख्यमंत्री के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की।

मुख्यमंत्री ने हिमफैड, हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड और कैलाश जिला कॉपरेटिव मार्केटिंग एंड कंज्यूमर फैडरेशन लिमिटेड के कैलेण्डरों का भी विमोचन किया।

प्रदेश मंत्रिमण्डल के सदस्यों, विधायकों, विभिन्न बोर्डों और निगमों के अध्यक्षों तथा उपाध्यक्षों, वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों तथा अन्य लोगों ने भी मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी।

महिलाओं के कौशल विकास के लिए उचित कदम उठाएं जायेंगे:रेखा शर्मा

शिमला/शैल। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा, रेखा शर्मा ने कहा कि महिलाओं के कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण पर विशेष बल दिया जाएगा ताकि महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ हो सके। धर्मशाला के सतोवरी में महिला आयोगों की परिसंवाद बैठक के समापन पर बतौर मुख्यातिथि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा रेखा शर्मा ने कहा कि महिला आयोगों को शक्तियां प्रदान करने की दिशा में उचित कदम उठाए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि कई राज्यों में महिला आयोग बहुत ही बेहतर तरीके से महिलाओं की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग भी समय-समय पर मार्गदर्शन सुनिश्चित कर रहा है।

इस अवसर पर राज्य महिला आयोग की सदस्य सचिव एकता काप्टा ने राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा चलाई जा रही गतिविधियों की विस्तार से जानकारी दी।

महिला बाल विकास विभाग की निदेशक राखी काहलों ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि महिला आयोग के माध्यम से महिलाओं की शिकायतों एवं समस्याओं का समयबद्ध निपटारा किया जा रहा है।

इससे पहले राज्य महिला आयोग की सदस्य इंदुबाला ने राष्ट्रीय महिला आयोग एवं सभी राज्यों के आयोगों के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, सदस्यों और सदस्य सचिवों का स्वागत किया। उन्होंने इस दो दिवसीय परिसंवाद को सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग का धन्यवाद भी किया।

शहरी विकास मंत्री ने रेरा की वेबसाइट का शुभारम्भ किया

शिमला/शैल। शहरी विकास, नगर नियोजन, आवास, संसदीय मामले एवं विधि मंत्री सुरेश भारद्वाज ने रियल एस्टेट विनियमन प्राधिकरण (रेरा) की वेबसाइट का शुभारम्भ किया।

इस अवसर पर रेरा की टीम को बधाई देते हुए सुरेश भारद्वाज ने कहा कि उन्होंने बहुत ही कम समय में अपने कार्य को गति दी है। आज लॉच की गई यह वेबसाइट एवं वेबपोर्टल सभी हितधारकों और प्रोमोटर्स को डिजिटल माध्यम से विभिन्न सुविधाएं प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि डिजिटाइजेशन समय की आवश्यकता है और इससे हमें स्मार्ट सोल्यूशन मिले, इसके लिए तकनीक का सही उपयोग इसमें किया गया है। इस वेबपोर्टल पर सभी जानकारियां एक क्लिक पर उपलब्ध होने से अब हितधारकों अथवा प्रोमोटर्स को कार्यालय में नहीं आना पड़ेगा।

रेरा के अध्यक्ष डॉ. श्रीकांत बाल्दी ने इस वेबसाइट www.hprera.nic.in में उपलब्ध सुविधा की जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि रेरा ने ओमिडयार नेटवर्क और प्रैक्सिल ग्लोबल अलायंस के सक्रिय मार्गदर्शन और समर्थन से राष्ट्रीय सूचना केन्द्र हिमाचल प्रदेश द्वारा यह नागरिक केन्द्रित और अनुकूल वेबपोर्टल डिजाइन और विकसित की है। रेरा का प्राथमिक उद्देश्य रियल एस्टेट परियोजनाओं की पारदर्शिता, समय पर डिलीवरी और रियल एस्टेट खरीददारों में विश्वास पैदा करना है।

उन्होंने कहा कि यह वेबपोर्टल सभी हितधारकों जिनमें आम जनता, घर खरीददारों और आबंटियों, प्रोमोटरों और एजेंटों के लिए एक सरल, पारदर्शी और उपभोक्ता केन्द्रित सुविधा प्रदान करेगा। वेबपोर्टल के चार माड्यूल हैं, जिनमें रियल एस्टेट परियोजनाओं का ऑनलाइन पंजीकरण, रियल एस्टेट एजेंट, ऑनलाइन फाइलिंग त्रैमासिक व वार्षिक प्रगति रिपोर्ट, और पंजीकरण से पूर्व या पश्चात् व्यथित व्यक्तियों द्वारा दर्ज करवाई गई रिपोर्ट शामिल है।

उन्होंने बताया कि आम जनता इस वेबसाइट के माध्यम से रियल एस्टेट परियोजना के बारे में वास्तविक समय में परियोजना का स्थान और निर्माण की स्थिति, भूखण्डों, अपार्टमेंट और वाणिज्यिक इकाइयों की उपलब्धता आदि की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकती है। इसमें परियोजना के प्रकार, कालीन व भूखण्ड क्षेत्रवार जानकारी उपलब्ध रहेगी। कोई भी व्यक्ति निर्देशांक जोड़कर प्रत्येक परियोजना के बारे में गूगल मानचित्र पर जानकारी प्राप्त कर सकता है। लोगों की सुविधा से लिए प्राधिकरण व अधिकारियों का सम्पर्क विवरण भी वेबसाइट पर दिया गया है।

उन्होंने बताया कि यह वेबपोर्टल प्राधिकरण के कार्यालय में आए बिना रियल एस्टेट परियोजनाओं के ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा प्रदान करेगा। पंजीकरण के लिए शुल्क का भुगतान ई-पेमेंट गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन किया जाना है। वेबसाइट प्रोमोटर को पंजीकरण के लिए उसके आवेदन को ट्रैक करने की सुविधा भी प्रदान करती है। बल्क ई-मेलिंग तथा एसएमएस सिस्टम पर उपलब्ध प्रोमोटर पंजीकरण, त्रिमाही और वार्षिक प्रगति रिपोर्ट से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्देश तथा क्यूपीआर व एपीआर दाखिल करने के सम्बन्धित समस्त जानकारी भी वेबसाइट के डैशबोर्ड पर प्राप्त कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि परियोजनाओं के पंजीकरण के बाद प्रोमोटरों को उनकी शिकायतों तथा विभिन्न विभागों के साथ लम्बित मुद्दों के निवारण के लिए भी सुविधा प्रदान की जाएगी। वेबपोर्टल पर रियल एस्टेट एजेंट को पंजीकृत करने के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। इसके अतिरिक्त इस वेबपोर्टल पर कोई भी पीड़ित व्यक्ति अथवा घर खरीददार फार्म एम में ऑनलाइन शिकायत करवा सकता है और शिकायत की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्राधिकरण के सभी आदेश और निर्णय आसानी से डाउनलोड भी किए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी, 2020 से अब तक रियल एस्टेट परियोजनाओं का पंजीकरण रेरा के सक्रिय हस्तक्षेप से 45 से बढ़कर 99 हो गया है।

इससे पूर्व, शहरी विकास मंत्री को रेरा की ओर से अध्यक्ष डॉ. श्रीकांत बाल्दी ने सम्मानित भी किया।

इस अवसर पर रेरा के सदस्य बी.सी. बडालिया और एनआईसी के स्टेट इन्फोरमेटिक्स ऑफिसर अजय चाहल भी उपस्थित थे।

बेनुगोपाल ने वर्चुअल माध्यम से की प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यो की समीक्षा

शिमला/शैल। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव सगंठन के.सी.बेनुगोपाल ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यो की सराहना करते हुए प्रदेश में हुए चार उप चुनावों में कांग्रेस पार्टी की शानदार जीत की बधाई दी। उन्होंने इस दौरान वर्चुअल माध्यम से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यो की समीक्षा भी की गई जिसमें प्रमुखता से जनजागरण अभियान, सदस्यता अभियान व ट्रेनिंग कार्यक्रमों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला ने भी भाग लिया। इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर व देश के अन्य प्रदेशों के अध्यक्षों ने वर्चुअल माध्यम से बैठक में भाग लिया।

बैठक में राजीव शुक्ला ने कहा हिमाचल में उप चुनावों में जीत की भांति इस साल होने वाले प्रदेश विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस को अपनी जीत का परचम लहराना है। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि प्रदेश में जन जागरण अभियान सफलतापूर्वक चल रहा है। उन्होंने पार्टी के सदस्यता अभियान पर भी संतोष व्यक्त करते हुए कहा की वह स्वम् इस कार्य पर अपनी पूरी नज़र रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने नाहन में आयोजित पार्टी ट्रेनिंग कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया था।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने बैठक में पार्टी के कार्यो की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में 66 विधानसभा क्षेत्रों में जन जागरण अभियान पूरा कर लिया गया है।उन्होंने कहा कि स्वम् उन विधानसभा क्षेत्रों में जन जागरण अभियान का नेतृत्व कर चुके है, जिसमें पिछले कुछ सालों से कांग्रेस का प्रदर्शन सही नही रहा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने 110 किलोमीटर से अधिक पदयात्रा में भाग लिया और अब कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण फिलहाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सभी बैठके वर्चुअल माध्यम से की जायेगी।

राठौर ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्यता अभियान भी सुचारू रूप से चल रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय आला कमान द्वारा जो भी कार्यक्रम प्रदेश कांग्रेस को दिए जा रहें है उन्हें सफलता पूर्वक पूरा किया जा रहा है।

अखिल भारतीय कांग्रेस ट्रेनिंग विभाग के चैयरमेन सचिन राव ने पार्टी के ट्रेनिंग कार्यक्रम में सभी विधायकों व पार्टी नेताओं के भाग लेने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

एन.जी.टी. के फैसले की अनुपालना पर जयराम सरकार सवालों में

- ओक ओवर और सचिवालय के निर्माणों से उठी चर्चा
- एन.जी.टी. ने उच्च न्यायालय और सरकार के आवेदनों को अस्वीकारा
- कैग और सरकार की अपनी रिपोर्टों पर आधारित है यह फैसला

शिमला/शैल। क्या जयराम सरकार अदालती आदेशों के अनुपालन में भी गंभीर और ईमानदार नहीं है? यह सवाल एन.जी.टी. के 16-11-2017 को आये फैसले के संदर्भ में इन दिनों फिर चर्चा का विषय बन गया है। क्योंकि इसी वर्ष नगर निगम शिमला के चुनाव होने हैं और एन.जी.टी. के फैसले का सबसे बड़ा सरोकार भी शिमला ही रहा है। एन.जी.टी. ने अपने आदेश में शिमला में नये निर्माणों पर प्रतिबंध लगाते हुये स्पष्ट कहा है कि We hereby prohibit new construction of any kind, i.e. residential, institutional and commercial to be permitted henceforth in any part of the Core and Green/Forest area as defined under the various Notifications issued under the Interim Development Plan as well, by the State Government.

Wherever the old residential structures exist in the Core area or the Green/Forest area which are found to be unfit for human habitation and are in a seriously dilapidated condition, the Implementation Committee constituted under this judgement may permit construction/reconstruction of the building but strictly within the legally permissible structural limits of the old building and for the same/permissible legal use. The Competent Authority shall sanction the plans and/or approve the same only to that extent and no more; under any circumstances such plans must not be beyond two storeys and an attic floor and only for residential purpose.

एन.जी.टी. ने यह आदेश कैग रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए किया है। जिसमें यह कहा गया है कि हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माणों को रगुलेट करने के लिये समुचित नियम नहीं हैं। इस कारण से यहां पर भूकंप और दूसरी आपदायें घटती रहती हैं। इस संदर्भ में एन.जी.टी. ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों और हिमाचल सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ कमेटी जिसमें प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी, हिमालयन जियोलॉजी संस्थान देहरादून, जी बी पंत संस्थान और नई दिल्ली स्थित स्कूल ऑफ प्लानिंग के प्रोफेसर शामिल थे की रिपोर्ट में आयी सिफारिशो का संज्ञान लेते हुए अपना फैसला दिया है। कमेटी की रिपोर्ट और एन.जी.टी. के फैसले में यह तथ्य आये हैं कि प्रदेश में अब तक 90 भूकंप आ चुके हैं और शिमला नगर निगम द्वारा 27318 घरेलू और 4900 कमर्शियल पानी के कनेक्शन ही हैं। जबकि इसके मुकाबले में सीवरेज के सिर्फ 13752 कनेक्शन ही है। शिमला के प्रबंधन पर यहां एक बड़ा खुलासा है। पिछले कुछ अर्से से चंबा से लेकर शिमला तक लगभग प्रदेश के हर जिले में भूकंप महसूस किये गये हैं और इसे एक बड़ी आपदा के पूर्व संकेतों के रूप में देखा जा रहा है।

एन.जी.टी. का आदेश नवंबर 2017 में आया था और दिसंबर में चुनाव होने के बाद सरकार बदल गयी थी। जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री बन गये थे। इस नाते एन.जी.टी. के फैसले के अनुपालन की जिम्मेदारी जयराम सरकार की हो जाती है। लेकिन क्या यह सरकार इस फैसले पर अमल कर पा रही है। क्योंकि इस फैसले के बाद कुछ निर्माण मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर हुआ है। यहां पर लिफ्ट तक लगाई गयी है। जबकि मुख्यमंत्री का आवास कोर एरिया में आता है। जिसमें निर्माणों पर पूर्ण प्रतिबंध है। इस निर्माण की स्वीकृति नगर निगम टीसीपी और एन.जी.टी. के फैसले के तहत बनी कमेटी के द्वारा दी गयी है या नहीं इस पर प्रशासन खामोश है। जबकि 25 फरवरी 2021 को हुई कमेटी की बैठक में न्यू शिमला में प्राइमरी हेल्थ सेंटर शिमला के देहा में चुनाव आयोग का वेयरहाउस नाभा में चार मंजिला दो ब्लॉक, पुराने बस स्टैंड के पास रेलवे की जमीन पर कमर्शियल परिसर, सचिवालय में विकलांगों के लिए लिफ्ट और रैंप, मुख्यमंत्री के कार्यालय के आगन्तुकों के लिये हॉल आर्मजडेल भवन में कार पार्किंग संजौली में वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल भवन उच्च न्यायालय में कैंटीन सहायक सालिसिटर जनरल कार्यालय के पांच मंजिला भवन निर्माण के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। इनमें कुछके निर्माणों को कमेटी के अनुमोदन के बाद एन.जी.टी. को भेजने की अनुशंसा की गयी थी। इन्हीं प्रस्तावों में एक प्रस्ताव स्व. नरेंद्र ब्रागटा के भवन में लिफ्ट लगाने का आया था और इसे भी एन.जी.टी. में ले जाने की सिफारिश की गयी थी।

एनजीटी ने सचिवालय में और ब्रागटा के घर में लिफ्ट लगाने तथा बहुमंजिला पार्किंग के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया है। बहुमंजिला पार्किंग में जितना भी निर्माण हुआ है उसकी कोई अनुमति कहीं से भी नहीं है। इसी बीच प्रदेश उच्च न्यायालय ने पुराने भवन को गिरा कर उसके स्थान पर नया निर्माण करने की अनुमति के लिए एन.जी.टी. में आवेदन किया था उच्च न्यायालय का यह आवेदन एन.जी.टी. ने 8-10-2021 को अस्वीकार कर दिया है। एनजीटी में इस फैसले में फिर स्पष्ट किया है Wherever unauthorised structures, for which no plans were submitted for approval or NOC for development and such areas falls beyond the Core and Green/Forest area the same shall not be regularised or compounded. However, where plans have been submitted and the construction work with deviation has been completed prior to this judgement and the authorities consider it appropriate to regularise such structure beyond the sanctioned plan, in that event the same shall not be compounded or regularised without payment of environmental compensation at the rate of Rs. 5,000/- per sq. ft. in case of exclusive selfoccupied residential construction and Rs. 10,000/- per sq. ft. in commercial or residential-cum-commercial buildings. The amount so received should be utilised for sustainable development and for providing of facilities in the city of Shimla, as directed under this judgement.

यह फैसला पूरे प्रदेश पर लागू है। लेकिन हर हिस्से में इसकी अनुपालना इमानदारी से नही हो रही है। शिमला में तो इस फैसले के बाद दर्जनों बहुमंजिला निर्माण बन गये हैं। जबकि इस फैसले के तहत केवल वही निर्माण नियमित किए जाने थे जो यह फैसला आने तक पूरी तरह तैयार हो चुके थे। पिछले दिनों कच्ची घाटी में गिरे आठ मंजिला निर्माण से सरकार सहित सभी संवद्ध संस्थानों की नीयत और नीति पर गंभीर सवाल खड़े हो गये हैं। इस परिदृश्य में यह देखना रोचक होगा कि आने वाले नगर निगम शिमला के चुनावों में इस विषय पर कौन क्या पक्ष लेता है।

महेंद्र सिंह हुए अधिकारियों

.....पृष्ठ 1 का शेष

की रहती है। पिछले दिनों जब लोकल ऑडिट ने विभाग से इन खर्चों से जुड़े दस्तावेज तलब किये तब स्वास्थ्य विभाग के जिलाधिकारी इन्हें उपलब्ध नहीं करवा पाये। सूत्रों के मुताबिक राजस्व सचिव और उनके अधिकारियों ने इसका कड़ा संज्ञान लेकर इसको रिकॉर्ड पर भी ले आये थे शायद बड़े दबाव के बाद स्थिति को टाला गया है।

अब चर्चा है कि राजस्व मंत्री ने रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत इस पर कड़ी आपत्ति उठायी है कि विभाग का वैधानिक मुखिया होने के नाते उन्हें इसकी न केवल जानकारी ही रहनी चाहिये बल्कि इसकी अनुमति भी उनसे ली जानी चाहिये। चर्चा है कि उन्होंने अपनी आपत्तियां रिकॉर्ड पर लाकर फाइल मुख्य सचिव को भेज दी है। निश्चित है कि यह मामला अब मुख्यमंत्री के पास भी जायेगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि रूल्स ऑफ बिजनेस और आपदा प्रबंधन अधिनियम में कैसे तालमेल बिठाया जाता है।